भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3894
11 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति और संसाधन दक्षता

3894**. श्री अनुराग शर्माः**

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसके अंतर्गत शुरू की गई प्रमुख पहलें, वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) अब तक सृजित इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण क्षमता और प्रसंस्कृत तथा पुनर्चक्रित इस्पात स्कैप की मात्रा का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) कच्चे माल के आयात और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इस्पात विनिर्माण में संगठित स्क्रैप संग्रह, वैज्ञानिक प्रसंस्करण, श्रेडिंग अवसंरचना और घरेलू स्तर पर पुनर्चक्रित इस्पात स्क्रैप के अधिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या उपाय किए गए हैं;
(घ) सार्वजनिक-निजी भागीदारी, निवेश संवर्द्धन, विनियामक समर्थन और प्रौद्योगिकी को अपनाने के माध्यम से इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण के लिए एक मजबूत और टिकाऊ पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या रणनीति अपनाई गई है; और
(ङ) संसाधन दक्षता, चक्रीय अर्थव्यवस्था, ऊर्जा संरक्षण, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी और घरेलू इस्पात क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि के संदर्भ में क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)**

(क), (ग) और (घ): देश में इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति, जिसमें संगठित स्क्रैप संग्रहण, वैज्ञानिक प्रसंस्करण और इस्पात विनिर्माण में घरेलू स्तर पर पुनर्चक्रित इस्पात स्क्रैप के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम साथ ही सार्वजनिक-निजी भागीदारी, निवेश प्रोत्साहन, नियामक सहयोग और देश भर में प्रौद्योगिकी अपनाने के माध्यम से इस्पात पुनर्चक्रण के लिए एक सुदृढ़ और स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना शामिल है, का विवरण निम्नानुसार है:

(i) इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति, 2019 विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न लौह स्क्रैप के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के साथ एक समन्वय ढांचा प्रदान करती है।
(ii) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने पुराने, अनुपयुक्त और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने के उद्देश्य से वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की है, जिसमें प्रोत्साहन/हतोत्साहन की एक प्रणाली शामिल है। इस नीति के तहत, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) के पंजीकरण और कार्यों के लिए नियम जारी किए हैं, जो पर्यावरण नियमों के तहत धातु और अन्य

जारी...2/-

सामग्रियों की और अधिक पुनर्प्राप्ति के लिए प्रयोग-अवधि समाप्त वाहनों (ईएलवी) के प्रदूषण-मुक्त करने और उन्हें नष्ट करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं और अवसंरचना से जुडी सुविधाएं प्रदान करता है। दिनांक 24.07.2026 तक की स्थिति के अनुसार 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 151 पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं (आरवीएसएफ) प्रचालन में हैं।

(iii) भारत सरकार ने पर्यावरण के अनुकूल तरीके से खतरनाक और अन्य अपशिष्टों के सुरक्षित रख-रखाव, भंडारण, पुनर्चक्रण, उपयोग, उपचार और निपटान को सुनिश्चित करने के लिए 'खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 अधिसूचित किया है।

(iv) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग-अवधि समाप्त वाहन) नियम, 2025 लागू किया है, जो पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल तरीके से प्रयोग-अवधि समाप्त वाहनों (ईएलवी) के प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) को अनिवार्य बनाता है, जिसके तहत वाहन निर्माताओं के लिए वाहन के प्रकार और प्राप्त सामग्रियों के आधार पर वार्षिक स्क्रैपिंग लक्ष्यों को पूरा करना आवश्यक है।

(v) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 को पोत के सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल पुनर्चक्रण को विनियमित और बढ़ावा देने के उद्देश्यों के साथ अधिसूचित किया गया है।

(ख) वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, इस्पात उत्पादन के लिए कुल 36 मिलियन टन लौह स्क्रैप का पुनर्चक्रण किया गया था, जिसमें से लगभग 28 मिलियन टन स्क्रैप घरेलू स्तर पर उत्पादित किया गया और 8 मिलियन टन आयात किया गया था। देश भर में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (आरवीएसएफ) का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वार विवरण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के परिवहन पोर्टल पर नीचे दिए गए यूआरएल पर उपलब्ध है:

'https://vscrap.parivahan.gov.in/vehiclescrap/vahan/rvsfdetails.xhtml'

(ङ) इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है, और सरकार देश में इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित कर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। संसाधन दक्षता, ऊर्जा संरक्षण, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के संदर्भ में सरकार द्वारा की गई पहलें और उनके परिणाम निम्नानुसार हैं:

(i) इस्पात मंत्रालय ने निम्न उत्सर्जन वाले इस्पात को परिभाषित और वर्गीकृत करने के लिए ग्रीन स्टील वर्गीकरण जारी किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, अधिसूचित ग्रीन स्टील वर्गीकरण फ्रेमवर्क के तहत 90 इस्पात इकाइयों को ग्रीन स्टील प्रमाणन प्रदान किया गया है।

(ii) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत इस्पात क्षेत्र में हाइड्रोजन के उपयोग हेतु पायलट परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए चार परियोजनाएं आवंटित की गई हैं।

जारी...3/-

(iii) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जनवरी, 2010 में शुरू किया गया राष्ट्रीय सौर मिशन सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है और इस्पात उद्योग के उत्सर्जन को कम करने में भी मदद करता है।

(iv) विद्युत मंत्रालय ने विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में भारतीय कार्बन बाजार को विनियमित करने के लिए दिनांक 28.06.2023 को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (सीसीटीएस) अधिसूचित की है, जो इस्पात संयंत्रों पर भी लागू होती है।

घरेलू इस्पात क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु, सरकार ने 6322 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य निवेश और मूल्यवर्धित विशेष इस्पात के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर, आयात निर्भरता कम करके और घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करके घरेलू इस्पात उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।

******